

1	2	3
33.	हवड़ा के लिए अवरोधन और दिशापरिवर्तन स्कीम	83.99
34.	विद्युत शवदाहगृह और लकड़ी आधारित शवदाहगृह, हावड़ा	80.24
35.	अवरोधन और दिशापरिवर्तन स्कीम, कोसीपुर-चितपुर, कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र	71.01
36.	अवरोधन एवं दिशापरिवर्तन स्कीम, दक्षिण सबर्बन (पश्चिम) एवं गार्डनरीच कलकत्ता नगर निगम	92.06
37.	अवरोधन और दिशापरिवर्तन स्कीम, टालीगंज-जादवपुर, कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र	90.82
38.	अवरोधन और दिशापरिवर्तन स्कीम, दक्षिण सबर्बन (पूर्व), कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र	90.10
39.	मुख्य पंपिंग स्टेशन, यइजिंग मेन और उपचार की स्कीम दक्षिण सबर्बन एवं गार्डनरीच, कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र	76.30
40.	सीवेज उपचार संयंत्र, कोसीपुर चितपुर क्षेत्र, कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र	33.80
41.	सीवेज उपचार संयंत्र, दक्षिण सबर्बन पूर्व, कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र	33.88

Degraded Forest Lands in the Country

213. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a move for the establishment of industries in the reclamation of the 25 to 30 million hectares of degraded forest lands in the country; and

(b) if so, what are the details in this regard and the steps taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) Representations have been received from various fora for involvement of industries for afforestation of degraded forest areas. A policy decision in this regard shall be taken only after careful assessment of various issues involved including *inter alia* its likely effect on rights and concessions being enjoyed by local villagers, pace of afforestation, availability of funds for afforestation, its social and economical impact on rural areas and biodiversity in forest areas.

बिहार के वन क्षेत्रों में खनन और औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना

214. श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बिहार के वन क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र में विभिन्न खनन और औद्योगिक गतिविधियों पर रोक लगाते हुए कोई अधिसूचना जारी की है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस अधिसूचना से लगभग 70-80 लाख मजदूर बेरोज़गार हो जाएंगे;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उन्हें वैकल्पिक रोज़गार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार ने खनन और औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण बिहार सरकार को होने वाली राजस्व हानि के बारे में कोई अनुमान लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार बिहार सरकार को राजस्व हानि की क्षति पूर्ति करने का विचार रखती है; यदि हां, तो किस प्रकार और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?